संख्या–169 /XV-2/01(03)/2015

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक 15 मार्च, 2018

विषय– महिला डेरी विकास परियोजना के संविदा कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतिम त्रैमास (दिसम्बर, 2017 से मार्च, 2018) का वेतन/मानदेय अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1649–50/नियोजन/लेखा–प्र0आयो0 म0 डेरी पत्रा0/2017–18, दिनांक 15 फरवरी, 2018 एवं पत्र संख्या–1860/नियोजन– महिला डेरी पत्रा0/2017–18, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतिम त्रैमास (दिसम्बर, 2017 से मार्च, 2018) में महिला डेरी विकास परियोजना के संविदा कार्मिकों को वेतन/नियत मानदेय अनुमन्य कराये जाने हेतु अनुदान संख्या–28 राष्ट्रीय डेरी विकास योजना (केन्द्रपोषित) के मानक मद–104 में राज्यांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में कुल बचत से राज्य सेक्टर में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत संचालित महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) के मानक मद–04 में **₹ 115.14 लाख (₹ एक करोड़ पन्द्रह लाख चौदह हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. निदेशक, डेरी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट कर पाँच दिवस के भीतर जिला–स्तरीय अधिकारियों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
4. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।

7. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजनायें–04–महिला डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्नक–बी0एम0–9 के कॉलम संख्या–1 में दर्शायी गई मदों में बचत से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–228/XXVII-4/2018, दिनांक 14 मार्च, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–बी0एम0–9

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– /(1)/XV-2/2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. निदेशक/अपर निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवाल परिसर, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी0एस0पुण्डीर)
उप सचिव।